

संचालनालय पंचायत तथा संचालनालय समाज कल्याण के संबंध में वित्तीय शक्ति				
1	2	3	4	5
1	भण्डार का वसूल न होने योग्य मूल्य तथा लोक धन की हानियों के अपलेखन की शक्ति	1. संभागीय अधिकारी	प्रत्येक प्रकरण में रु. 20,000 तक	वित्तीय अधिकारी पुस्तक, 1995 एक के खण्ड एक आयटम 35 में उल्लेखित शर्तों के अधीन।
		2. जिला कार्यालयों के प्रमुख / प्राचार्य/अधीक्षक/ संस्थाओं के प्रमुख	प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000 तक	
2	विज्ञापन प्रभारों पर खर्च की मंजूरी	1. संचालक 2. संभागीय अधिकारी 3. जिला अधिकारी / प्राचार्य / संस्था प्रमुख	पूर्ण शक्तियां वर्ष में रु. 5,000 तक वर्ष में रु. 3,000 तक	नियमों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन की शर्त के अधीन।
3	पुस्तकालय हेतु पुस्तकों के क्रय पर खर्च की मंजूरी	संचालक	पूर्ण शक्तियां	
4	समाज कल्याण संस्थाओं के अन्तःवासियों के संबंध में वर्दियों, कपड़ों तथा अन्य सामानों पर खर्च की मंजूरी	जिला अधिकारी / प्राचार्य / अधीक्षक/संस्थाओं प्रमुख	पूर्ण शक्तियां	शासन द्वारा निर्धारित मान के अनुसार
5.	पंचायत भवन तथा अन्य मदों के निर्माण हेतु अनुदान जिसके लिए अनुदान सम्मिलित है	1. प्रशासकीय विभाग 2. संचालक 3. कलेक्टर	रु. एक लाख से अधिक रु. एक लाख तक	क- इस शर्त के अध्याधीन कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में पचास प्रतिषत जन सहयोग तथा अनुसूचित क्षेत्र में पच्चीस प्रतिषत जन सहयोग हो ख - विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन
6	ऑडियोविजुअल उपकरणों, वेन तथा टेलीविजन की मरम्मत की मंजूरी	1. कलेक्टर 2. संभागीय अधिकारी 3. जिला अधिकारी / प्राचार्य / अधीक्षक /	पूर्ण शक्तियां प्रत्येक प्रकरण में रु. 5,000 तक प्रत्येक प्रकरण में रु. 3,000 तक	-

		संस्थाओं के प्रमुख		
--	--	--------------------	--	--

7.	सहायक अनुदान देयकों पर प्रति हस्ताक्षर, वित्तीय विवरणियों की जांच, अधिक भुगतानों की वसूली के आदेश, यदि कोई हो तथा अस्थाई अनुदान को रोकना या निलंबन करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. कलेक्टर 2. संभागीय अधिकारी 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>पूर्ण शक्तियां</p>	
8	समाज कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान क- नई संस्थाएं	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशासकीय विभाग 2. विभाग प्रमुख 3. संभागीय अधिकारी 4. जिला अधिकारी 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>रु. दो लाख तक</p> <p>रु. 25,000 तक</p> <p>रु. 10,000 तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. बर्षते विभाग के समस्त सहायक अनुदान नियमों का पालन किया गया हो। 2. ऐसे संस्थानों को पिछले दो वर्षों में सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था।
	ख - पुरानी संस्थाएं	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग प्रमुख 2. संभागीय अधिकारी 3. जिला अधिकारी 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>रु. दो लाख तक</p> <p>रु. 1 लाख तक</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. बर्षते पिछले वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र, महालेखाकार, मध्यप्रदेश / विभाग / विभाग प्रमुख / कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। 4. बर्षते कि पिछले वर्ष का परीक्षित लेखा प्रस्तुत किया गया

				<p>है।</p> <p>5. बर्षर्तै उनका कार्य समाधानप्रद पाया गया हो तथा वे आगे का काम करने के इच्छुक हों।</p> <p>6. '(गगग)</p> <p>7. '(गगग)</p>
9	पंचायतों को प्रत्येक मामले में टेलीविजन क्रय करने हेतु सहायक अनुदान	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग प्रमुख 2. कलेक्टर 3. जिला प्रमुख 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>रु. 25,000 तक</p> <p>रु. 15,000 तक</p>	इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन।
10	अन्तःवासियों की, उनका स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि तथा अन्य सेवाओं हेतु, देखभाल, भरपोषण पर खर्च की मंजूरी	जिला अधिकारी / प्राचार्य / अधीक्षक / संस्थाओं के प्रमुख	पूर्ण शक्तियां	इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन।
'11	'सेमिनार, वर्कषाप प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आयोजन तथा प्रषिक्षण इत्यादि पर खर्च / सहायक अनुदान की मंजूरी	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग प्रमुख 2. जिला कार्यालय के प्रमुख 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>रु. 20,000 तक</p>	इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन।
'12	ऑडियो विजुअल योजना हेतु फिल्म / वीडियो कैसेट का क्रय	<ol style="list-style-type: none"> 1. विभाग प्रमुख 2. जिला कार्यालय के प्रमुख 	<p>पूर्ण शक्तियां</p> <p>रु. 10,000 तक</p>	इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन।
1	स्थानीय विकास कार्यों के लिए प्रषासकीय अनुमोदन देने की शक्ति	<ol style="list-style-type: none"> 1. संभागीय आयुक्त 2. कलेक्टर 3. उप खण्ड अधिकारी 4. विकास खण्ड अधिकारी 	<p>रु. तीन लाख तक</p> <p>रु. 1.25 लाख तक</p> <p>रु. 25,000 तक</p> <p>रु. 15,000 तक</p>	इस संबंध में शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन।
2	स्थानीय विकास कार्यों के लिए तकनीकी अनुमोदन देने की शक्ति	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधीक्षण यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) 2. कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) 3. सहायक यंत्री 	<p>रु. पांच लाख तक</p> <p>रु. तीन लाख तक</p> <p>रु. 50,000 तक</p>	

		(ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)		
--	--	-----------------------------	--	--

स.क्र. 1 व 3 में म.प्र. सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. एफ 11-48-2003-एक-9, दिनांक 19-1-2004 द्वारा शब्द "कलेक्टर" एवं "जिला पंचायत" विलोपित तथा पूर्व में प्रदत्त शक्तियां बहाल।